प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरमः मानानीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

मानानीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रं: 218 / 2003

श्रीमती सरिता देवांगन एवं अन्य

बनाम

आनंद कुमार सिंह राजपूत एवं अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थः

हस्ताक्षर/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ताः "मै सहमत हूँ |"

हस्ताक्षर /-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु : 04.08.2009

हस्ताक्षर/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रं: 218 / 2003

अपीलार्थीगण/
आवेदकगण:

1. श्रीमती सरिता देवांगन, पति स्व. श्री गोविंद प्रसाद देवांगन, उम्र लगभग 21 वर्ष।
2. कु. अंजली, पिता स्व. श्री गोविंद प्रसाद देवांगन, उम्र लगभग 8 माह, अवयस्क, द्वारा प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती सरिता देवांगन।
3. मदल लाल देवांगन, पिता स्व. श्री सोनाऊ राम देवांगन, उम्र लगभग 54 वर्ष।
4. मिलन बाई, पति मदल लाल देवांगन, उम्र लगभग 50 वर्ष।
5. गोपाल प्रसाद देवांगन, पिता मदल लाल देवांगन, उम्र लगभग 20 वर्ष।
6. कु. रेखा देवांगन, पिता मदन लाल देवांगन, उम्र लगभग 18 वर्ष।
7. कु. लक्ष्मी बाई, पिता मदन लाल देवांगन, उम्र लगभग 14 वर्ष।
8. ओंकार प्रसाद देवांगन, पिता मदल लाल देवांगन, उम्र लगभग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8 वर्ष।

अपीलार्थी क्रमांक 7 एवं 8 अवयस्क, द्वारा प्राकृतिक अभिभावक पिता मदन लाल देवांगन।

सभी निवासी विकास नगर, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) ।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः

1. आनंद कुमार सिंह राजपूत, पिता स्व. अनुप सिंह राजपूत, उम्र 25 वर्ष, निवासी जेघासी, थाना पाटन, जिला पलामू (बिहार), वर्तमान निवासी वाई.टी.पी. कंपनी, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) ।
2. एक्स.एस.एम. हज़ूरा सिंह, पिता रोनक सिंह, फर्म - जी.सी.सी.प्रा.लि., एस.ई.सी.एल. गेवरा प्रोजेक्ट, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) ।
3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, टी.पी. नगर, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.) ।
4. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, सिटी शाखा कार्यालय, डी-ब्लॉक, टी.पी. नगर, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम, 1988)

उपस्थित अधिवक्तागण:

श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

श्री कमरुल अज़िया, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्र.3

श्री सूर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्र.4

प्रत्यर्थी क्र.1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

(04.08.2009)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया है:

1. अपीलार्थीगण/आवेदकगण ने यह अपील न्यायालय तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एफ.टी.सी.), कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्र. 21/2002 में दिनांक 18 जनवरी 2003 को पारित अधिनिर्णय में प्रदत्त प्रतिकर की राशि में वृद्धि किए जाने हेतु दायर की है।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:

अपीलार्थीगण/आवेदकगण स्व. गोविंद प्रसाद देवांगन की विधवा पत्नी, अवयस्क पुत्री, माता-पिता, भाई एवं बहनें हैं, जिनका 14.08.2001 को एक मोटर दुर्घटना में देहांत हो गया। उक्त दुर्घटना उस समय हुई जब मृतक अपने स्कूटर क्रमांक एम.पी. 26 के.ऐ./

3683 से जा रहे थे और प्रत्यर्थी वाहन (ट्रक) क्रमांक एम.पी. 57 एच 0084 ने उन्हें टक्कर मार दी। अपीलार्थीगण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत एक दावा याचिका प्रस्तुत कर ₹1,01,61,200/- के प्रतिकर की मांग की, यह कहते हुए कि दुर्घटना प्रत्यर्थी ट्रक चालक की उपेक्षा और उतावलेपन से गाड़ी चलाने के कारण हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक 'गोपाल जनरल स्टोर' नामक एक किराना दुकान चलाते थे और प्रति माह ₹5,000/- की आमदनी करते थे।

प्रत्यर्थी वाहन-स्वामी ने अपीलार्थीगण के दावे से इनकार करते हुए यह कहा कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई, चालक के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया है और अपीलार्थीगण ने अत्यधिक राशि का दावा किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 (ट्रक के बीमाकर्ता), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. ने भी दावे से इनकार करते हुए कहा कि ट्रक का संचालन पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में हो रहा था, अतः बीमा कंपनी प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रत्यर्थी क्रमांक 4 (स्कूटर के बीमाकर्ता), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने औपचारिक रूप से अपीलार्थीगण के दावे को नकारते हुए कहा कि दुर्घटना प्रत्यर्थी ट्रक चालक की उपेक्षा और उतावलेपन से गाड़ी चलाने से हुई, अतः उन पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी कहा कि मृतक स्वयं दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए इस आधार पर भी वे प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अपीलार्थीगण ने अपने दावा याचिका के समर्थन में सुनील कुमार अग्रवाल (आ.सा.-1) एवं श्रीमती सरिता देवांगन (आ.सा.-2) का परीक्षण कराया, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने दावा के खंडन में तुसार कांति घोष (अना.सा.-1) का परीक्षण कराया।

विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह पाया कि दुर्घटना प्रत्यर्थी ट्रक चालक की उपेक्षा और उतावलेपन से गाड़ी चलाने के कारण हुई और अपीलार्थी प्रतिकर पाने के हकदार हैं। अधिनिर्णय कि कंडिका 18 में कहा गया कि चूँकि ट्रक प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के साथ बीमित था, अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 3 प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, अधिनिर्णय कि कंडिका 19 में न्यायाधिकरण ने अंततः कहा कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2, 3 एवं 4 संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक प्रतिकर राशि अपीलार्थीगण को देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जहाँ तक प्रतिकर की राशि का प्रश्न है, न्यायाधिकरण ने मृतक की पत्नी (आ.सा.-2) की गवाही पर भरोसा करते हुए यह आकलन किया कि मृतक उक्त जनरल स्टोर से ₹5,000/- प्रतिमाह की आमदनी कर रहा था। तथापि, न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि उक्त जनरल स्टोर अपीलार्थी क्रमांक 3 मदन लाल देवांगन, अपीलार्थी क्रमांक 5 गोपाल प्रसाद देवांगन एवं मृतक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा था। अतः मृतक की व्यक्तिगत आय का आकलन दुकान में उसके एक-तिहाई योगदान के आधार पर ₹1,666/- प्रतिमाह एवं ₹19,992/- प्रतिवर्ष किया गया। मृतक के व्यक्तिगत खर्च हेतु एक-तिहाई राशि घटाने के उपरांत, अपीलार्थीगण की वार्षिक आश्रिता ₹13,328/- निर्धारित की गई। उक्त वार्षिक आश्रिता ₹13,328/- पर 17 का गुणांक लागू करने पर प्रतिकर राशि ₹2,26,576/- आंकी गई। अन्य मदों के अंतर्गत अतिरिक्त ₹30,000/- जोड़कर कुल प्रतिकर राशि ₹2,56,576/- निर्धारित की गई।न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर वसूली होने तक 9% वार्षिक ब्याज भी प्रदान किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपर्युक्त के अनुसार, अपीलार्थीगण प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 4, अर्थात् ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने एक प्रति-आपत्ति (एम.{सी.}पी. क्रं. 895/2004) दायर की है, जिसमें अधिनिर्णय के उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 अपीलार्थीगण को प्रतिकर राशि संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक देने हेतु उत्तरदायी होंगे।

3. श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन करते समय विधिक त्रुटि की है और इसे अत्यधिक कम आँका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतक की दुकान से होने वाली आय को अन्य पारिवारिक सदस्यों के योगदान के आधार पर गलत तरीके से घटाया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, श्री कमरुल अज़ीज़, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, ने इन तर्कों का विरोध करते हुए दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय का समर्थन किया।

5. श्री सूर्यकांत मिश्रा, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने अधिनिर्णय कि कंडिका 18 में यह सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया कि ट्रक के बीमाकर्ता को प्रतिकर राशि देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, जबकि कंडिका 19 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2, 3 एवं 4 अपीलार्थीगण को प्रतिकर राशि देने के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे। अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 4 / ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा दायर प्रत्याक्षेप स्वीकार की जाएँ और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को, न्यायाधिकरण द्वारा कंडिका 19 में निर्धारित उक्त दायित्व से मुक्त किया जाए।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना एवं दावा प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

7. अपीलार्थीगण/आवेदाकगण का यह कथन था कि मृतक उक्त दुकान से प्रति माह ₹5,000/- कमा रहा था, किन्तु इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं थे। न्यायाधिकरण ने अधिनिर्णय कि कंडिका 15 में यह अभिलिखित किया है कि दुकान अपीलार्थी क्रमांक 5 गोपाल प्रसाद देवांगन के नाम पर थी और वास्तव में, यह दुकान अपीलार्थी क्रमांक 3 मदन लाल देवांगन द्वारा अपने पुत्र गोपाल प्रसाद देवांगन के नाम पर खोली गई थी। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह अवलोकन किया कि अपीलार्थीगण यह प्रदर्शित करने हेतु कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि दुकान मृतक के नाम पर थी या वह मृतक के एकमेव स्वामित्व की थी। इस आधार पर, जबकि दुकान की मासिक आय ₹5,000/- मानी गई, मृतक की आय को उसके योगदान के 1/3 हिस्से के आधार पर ₹1,666/- प्रति माह आंका गया। हमने ध्यान दिया कि यह सब मृतक की पत्नी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर किया गया है, जिसमें न तो निश्चितता कोई से कथन किया गया और न ही ठोस तथ्यों का उल्लेख किया गया, बल्कि अस्पष्ट और असंपुष्ट बयान दिए गए। मृतक की पत्नी (आ.सा.-2) के मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय का यह विचार है कि न्यायाधिकरण को गणना करते समय मोटरयान अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत तैयार द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट कल्पित आय के आधार पर गणना करनी चाहिए थी। वर्ष 1994 में कल्पित आय ₹15,000/- वार्षिक निर्धारित की गई थी। यदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एवं जीवन-यापन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में निर्धारित ₹15,000/- की कल्पित आय वर्ष 2001 में निश्चित रूप से ₹30,000/- हो जाती, जैसा कि हमने प्रतिकर की राशि निर्धारण से संबंधित अनेक मामलों में माना है। अतः, हम प्रतिकर का पुनः आकलन करते हुए मृतक की वार्षिक आय ₹30,000/- मानने का प्रस्ताव रखते हैं।

8. मृतक की व्यक्तिगत व्यय हेतु आय 30,000/- रुपये में से 1/3 भाग घटाने पर, आश्रिता 20,000/- रुपये प्रतिवर्ष के रूप में निकलती है। निःसंदेह, दुर्घटना की तिथि पर मृतक की उम्र लगभग 22 वर्ष थी तथा उसकी विधवा पत्नी की उम्र लगभग 21 वर्ष थी और उनकी एक पुत्री थी जिसकी उम्र लगभग 8 माह दर्शाई गई है। अतः ***सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एस.सी.सी. 121*** के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में 18 का गुणांक लागू करना उपयुक्त समझते हैं। 20,000/- रुपये की वार्षिक आश्रिता पर 18 का गुणांक लगाने पर प्रतिकर 3,60,000/- रुपये निकलता है। अन्य स्वीकृत मदों के अंतर्गत 15,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने पर कुल राशि 3,75,000/- रुपये होती है, जिसे अपीलार्थीगण/ आवेदकगण मृतक गोविन्द प्रसाद देवांगन की मृत्यु, जो कि मोटर दुर्घटना में हुई, के लिए प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं। न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही 2,56,576/- रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। इस राशि को 3,75,000/- रुपये से घटाने पर शेष राशि 1,18,424/- रुपये होती है, अतः अपीलार्थीगण/आवेदकगण 1,18,424/- रुपये की राशि मृतक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के कारण बढ़े हुए प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. आगे की जटिलताओं से बचने एवं दावा याचिका के निराकरण तथा अपीलार्थीगणों की अपील में हुई देरी को देखते हुए, तथा यह तथ्य कि केवल बीमा कंपनी को ही इस देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हम इस मामले में ब्याज की राशि का आकलन 21,576/- रुपये के रूप में उचित समझते हैं।

10. अतः, अपीलार्थीगण/आवेदकगण कुल 1,40,000/- रुपये अतिरिक्त (1,18,424/- रुपये बढ़ा हुआ प्रतिकर एवं 21,576/- रुपये ब्याज की आंकी गई राशि) प्राप्त करने के हकदार हैं।

11. जहाँ तक प्रतिकर देने की ज़िम्मेदारी का प्रश्न है, यह निश्चित रूप से ट्रक के बीमाकर्ता अर्थात् दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रत्यर्थी क्र.3) पर ही होगी, क्योंकि न्यायाधीकरण द्वारा यह तथ्य कि दुर्घटना ट्रक चालक की उपेक्षा और उतावलेपन से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी, यथावत् माना गया है और इस पर किसी भी पक्ष ने आपत्ति नहीं की है, अतः यह अंतिम रूप ले चुका है। यहाँ तक कि न्यायाधीकरण ने भी उक्त तथ्य दर्ज करने के बाद, अपने निर्णय कि कंडिका 18 में यह माना कि प्रत्यर्थी क्र.3 प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी होगा, किंतु त्रुटिवश एवं बिना कोई कारण बताए, कंडिका 19 में यह उल्लेख कर दिया कि प्रत्यर्थी क्र.2, 3 एवं 4 सभी संयुक्त रूप से प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह निर्देश कि प्रत्यर्थी क्र.4 भी संयुक्त रूप से प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी होगा, न्यायाधीकरण की त्रुटि है। अतः प्रत्यर्थी क्र.4 द्वारा दायर की गई प्रति-आपत्ति स्वीकार की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अपीलार्थीगण/आवेदाकगण द्वारा प्रतिकर की राशि बढ़ाने हेतु दायर की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण/आवेदाकगण अब कुल ₹1,40,000/-

रूपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि एवं इस पर ब्याज प्राप्त करने के पात्र हैं। यह राशि प्रत्यर्थी क्र.3 (दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा अदा की जाएगी। दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह राशि जमा करने के लिए 3 माह का समय दिया जाता है, जो संबंधित दावा न्यायाधीकरण में जमा की जाएगी। निर्देशित किया जाता है कि ₹1,40,000/- रूपये में से ₹40,000/- रूपये मृतक की विधवा पत्नी श्रीमती सरिता देवांगन (अपीलार्थी क्र.1) को भुगतान किया जाएगा। ₹1,00,000/- रूपये मृतक की नाबालिग पुत्री कु. अंजली (अपीलार्थी क्र.2) के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 10 वर्षों के लिए सावधि खाता में जमा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रत्यर्थी क्र.4 द्वारा दायर किया गया प्रत्याक्षेप स्वीकार किया जाता है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रत्यर्थी क्र.4) को इस मामले में भारमुक्त किया जाता है। प्रत्याक्षेप दायर करने हेतु जमा की गई आज्ञापक राशि ₹25,000/- रूपये प्रत्यर्थी क्र.4 को वापस की जावेगी |

14. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By…… … ***RANJAN GUPTA, ADVOCATE***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur